Serial Circular No. 42/2013

Eastern Railway

No. E 182/0/Vol.III

Kolkata, dated: 08/05/2013

All Concerned

Sub: Acceptance of certificates/qualifications awarded by **Rajasthan State Open School, Jaipur and A. P. Open Schooling, Hyderabad** for the purpose of employment on the railways.

A copy of Railway Board's letter No. E(NG)-II/2004/RR-1/14 dated 04.04.2013 (**RBE No. 31/2013**) is appended below for information, guidance and necessary action.

DA: Hindi version

for 08-5-13
(G. Bandopadhyay)
Asstt. Personnel Officer/R
for Chief Personnel Officer

Copy of Board's letter No. E(NG)-II/2004/RR-1/14 dated 04.04.2013 (**RBE No. 31/2013**) addressed to the GM (P)/All Zonal Railways & others.

Sub: Acceptance of certificates/qualifications awarded by **Rajasthan State Open School, Jaipur and A. P. Open Schooling, Hyderabad** for the purpose of employment on the railways.

The issue of recognition of qualification awarded by institutions cited in the above subject has been under consideration of this Ministry. The issue has been examined in consultation with M/o Human Resource Development and Department of Personnel & Training, M/o Personnel, Public Grievances and Pensions.

A copy of office Memorandum No. 14021/1/2012-Estt.D dated 6.3.2013 issued by Department of Personnel & Training, M/o Personnel, Public Grievances and Pensions on the above subject is sent herewith for guidance and compliance.

These instructions will be applicable from the date of issue of above stated office memorandum of Department of Personnel & Training. Cases pertaining to recruitments/ engagements finalized prior to the date of issue of these instructions need not be re-opened.

Encls.: As stated.

Sd/- (Ravi Shekhar)
Dy. Director Estt. (N)-II
Railway Board

Index No.1051: Instructions regarding recognition of certificates/qualifications awarded by Rajasthan State Open School, Jaipur and A. P. Open Schooling, Hyderabad for the purpose of employment on the railways.

From pre-page.

No.14021/1/2012-Estt.D
Government of India
Ministry of Personnel, P. G. & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated the 6th March, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Recognition of certificates/qualifications awarded by Rajasthan State Open School, Jaipur and Andhra Pradesh Open Schooling Society for the purpose of employment in Central Government Offices.

The undersigned is directed to state that the matter whether qualifications/ certificates awarded by Rajasthan State Open School, Jaipur and Andhra Pradesh Open Schooling Society are recognized for the purpose of employment in Central Government Offices has been considered in consultation with the Ministry of Human Resource Development.

2. Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development had clarified vide their O. M. No. F-2-35/2011-Sch. 3 dated 07.09.2012 that Council of Boards of School Education in India (COBSE), an Association of National and State School Education Boards, is responsible for verifying genuineness/recognition of School Education Boards in India. It grants membership to boards/institutes that are set up by an Act of Parliament or State Legislature or an executive order of the Central/State Governments and follow the National Curriculum Framework. The certificates issued by its member Boards are equivalent to any other board across the country. It was informed that Andhra Pradesh Open Schooling Society and Rajasthan State Open School, Jaipur, are its members and their courses are recognized by COBSE and all its member Boards, and are valid for further studies and appointment in the Central and State Government *departments. As regards, validity of certificates issued by Rajasthan State Open School,* Jaipur and Andhra Pradesh Open Schooling Society for employment purposes, it may be got verified from the respective State Open Schools, whenever, necessary.

Sd/- (Pushpender Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Telephone No. 23040340

****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं.31/2013

सं.ई (एनजी)-II/2004/आरआर-1/14.

नई दिल्ली, 4.04.2013

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद, मेट्रो रेलवे/कोलकाता.
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/एमटीपी, चेन्नै और मुंबई,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)/डीएमडब्ल्यू, पटियाला, कॉफमो, नई दिल्ली.
अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड.
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
निदेशक, इरिसेट/सिकंदराबाद, इरीसेन/पुणे, इरीन/नासिक और
इरिमी और ईई/जमालपुर, डीएफसीसीआईएल/नई दिल्ली और प्रबंध निदेशक/कोंकण
रेलवे निगम लिमिटेड.

__विषय__: रेलवे में रोजगार देने के प्रयोजन हेतु राजस्थान राज्य ओपन स्कूल, जयपुर और आ.प्र. ओपन स्कूल, हैदराबाद द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों/अर्हताओं को स्वीकार करना।

ऊपर उल्लिखित संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने के मामले पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 06.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं.14021/1/2012-ईस्ट.डी की प्रति मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से ये अनुदेश लागू होंगे। इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से पूर्व अंतिम रूप दे दिए गए भर्ती/नियुक्ति से संबंधित मामलों को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त.

(रवि शेखर)
उप निदेशक स्थापना (अराज.)-II
रेलवे बोर्ड

E NG II 2012 Satvin

सं. 14021/1/2012-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांकः 6 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार के प्रयोजन से राजस्थान राज्य मुक्त(ओपन) स्कूल, जयपुर एवं आन्ध्रप्रदेश मुक्त (ऑपन)स्कूलिंग सोसाइटी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों/योग्यताओं को मान्यता देना ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्थान राज्य मुक्त (ओपन) स्कूल, जयपुर एवं आन्ध्र प्रदेश मुक्त (ओपन) स्कूलिंग सोसाइटी द्वारा प्रदत्त योग्यताएँ/प्रमाण पत्रों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त हैं या नही, इस विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है ।

2. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 07.09.2012 के का. ज्ञा. सं. एफ-2-35/2011-[illegible]3 द्वारा स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों की एसोशिएशन, भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई), भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड की वास्तविकता/मान्यता का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी है । यह संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम या केन्द्रीय/राज्य सरकारों के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किए जाने वाले बोर्ड/संस्थाओं एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का पालन करने वालों को सदस्यता प्रदान करता है । इसके सदस्य बोर्डों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, देश के किसी भी बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के समकक्ष होते हैं । यह सूचित किया गया था कि आन्ध्र प्रदेश मुक्त (ओपन) स्कूलिंग सोसाइटी एवं राजस्थान राज्य मुक्त (ओपन) स्कूल, जयपुर इसके सदस्य हैं एवं इनके पाठ्यक्रम सीओबीएसई एवं इसके सभी सदस्य बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और ये आगे अध्ययन करने एवं केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों में नियुक्ति के लिए वैध हैं । जहाँ तक रोजगार के प्रयोजन से राजस्थान राज्य मुक्त (ओपन) स्कूल, जयपुर एवं आन्ध्र प्रदेश मुक्त (ओपन) स्कूलिंग सोसाइटी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की वैधता का संबंध है, जहां आवश्यक हो, इसे संबंधित राज्य ओपन स्कूलों से सत्यापित करवाया जा सकता है ।

(पुष्पेन्द्र कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष :- 23040340

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

DDEN II